



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2012/चैत्र 30, 1934

No. 179]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2012/CHAITRA 30, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 310(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह “क” पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह “क” पद) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह “क” पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में, संयुक्त निदेशक (हिन्दी) के पद से संबंधित क्रम सं. 03 के सामने, -

(क) स्तम्भ 11 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ”

(ख) स्तम्भ 12 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि “प्रतिनियुक्ति: जो किसी मंत्रालय / विभाग में सदृश पद धारण किए हों या ऐसे ज्येष्ठ हिन्दी अधिकारी जिसने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।”, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी :

(i) जो मूल काडर में या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं : या

(ii) वेतन बैंड- 3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600/- रुपए में ऐसा ज्येष्ठ हिन्दी अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

[फा. सं. 1(4)2009-कार्मिक-III]

डॉ. अनीता भटनागर जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 916 (अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उसके पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्या के द्वारा संशोधित किए गए थे :

सा.का.नि. 727 (अ) तारीख 29 सितम्बर, 2011

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2012

G.S.R. 310(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009, against serial number 03 relating to the post of Joint Director (Hindi),—

(a) under column 11, for the existing entry the following shall be substituted, namely:-

“By promotion/deputation (including short-term contract)”;

(b) under column 12, for the existing entry “Deputation: Holding analogous post in Ministry/ Department OR Senior Hindi Officer in PB-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade.”, the following shall be substituted, namely:—

“Deputation (including short-term contract): Officers of Ministry/ Department or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or University:—

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) Senior Hindi Officer in PB-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade”.

[F. No. 1(4)/2009-Pers. III]

Dr. ANITA BHATNAGAR JAIN, Jt. Secy.

Note : Principal Rules were published vide G.S.R. No. 916(E) dated, the 22nd December, 2009 and subsequently amended vide notification number:

G.S.R. 727(E) dated 29th September, 2011.